(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 461–पीबीआर/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्र. 225/2010–11/अपील.

महेशपुरी पुत्र श्री शंकरपुरी
निवासी भितरवार तहसील व
जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार भितरवार द्वारा यह पाये जाने पर कि ग्राम भितरवार स्थित भूमि सर्वे कमांक 2486 रकबा 2.289 हेक्टेयर माफी मंदिर की भूमि होकर उसके प्रबंधक कलेक्टर जिला ग्वालियर है, के मंदिर के पुजारी आवेदक शंकरपुरी द्वारा अवैध रूप से ईट भट्टा लगाया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अवैध रूप से संचालित ईटभटटे को जप्त किया गया एवं संहिता की धारा 247 के

अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–3–2010 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाते हुये ईटों की कीमत 1,00,000/– रुपये का दोगुना रुपये 2,00,000/– अर्थदण्ड आवेदक पर अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–11–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–2–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा मिट्टी का अवैध उत्खनन नहीं कर मंदिर की सुरक्षा के लिये दीवार का निर्माण कराने हेतु ईट बनाई गई है, जो कि अवैध उत्खनन की श्रेणी में नहीं आता है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की भूमि है और मंदिर के निर्माण के लिये इंटों का निर्माण किया गया है और आवेदक मंदिर का पुजारी होने से उसकी सुरक्षा का दायित्व आवेदक का है, जिसके लिये कलेक्टर न्यायालय के अनुमति की आवश्यकता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को बिना साक्ष्य का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बिना कलेक्टर न्यायालय के अनुमति के आवेदक पुजारी द्वारा मिटटी का अवैध उत्खनन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पुजारी की हैसियत से केयर टेकर की होती है और यह भी आधार लिया गया कि आवेदक पुजारी एक तरफ तो मंदिर की भूमि को उबाड–खाबड बता रहा है और दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा हेतु वाउण्ड्रीबाल का निर्माण कर रहा है, जो तर्क विश्वसनीय नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्य से आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित किया गया है । स्वयं आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवैध उत्खनन किया जाना स्वीकार भी किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये अवैध रूप से उत्खनित मिट्टी की कीमत रुपये 1,00,000/– का दोगुना रुपये 2,00,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर